मध्यप्रदेश का निर्यात 66218 करोड़ तक पहुंचा

आईटी कंपनियों का निर्यात भी 4038 करोड़ रहा, एफआईईओ की ताजा रिपोर्ट में खुलासा

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 29 अक्टूबर. मध्यप्रदेश ने निर्यात क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए अब तक का सर्वोच्च निर्यात 66,218 करोड़ रु. दर्ज किया है. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एफआईईओ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 66,218 करोड़ रु. और आईटी कंपनियों एसईजेड का निर्यात 4,038 करोड़ रु. रहा.

निरंतर औद्योगिक विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय निर्यात रैंकिंग 15वें से बढ़कर 11वें स्थान पर पहुंची है. यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि प्रदेश के अनेक निर्यातक अपने उत्पादों का निर्यात गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों के माध्यम से करते हैं, जिससे उनके आँकड़े प्राय: अन्य राज्यों के खाते में दर्ज हो जाते हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजदगी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा हाल ही में मध्यप्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का शुभारंभ किया. इस नीति के तहत निर्यातकों को प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता और विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुँचाने में नई गति मिली है. प्रदेश सरकार और मप्र औद्योगिक विकास निगम एमपीआईडीसी द्वारा निर्यात वृद्धि के उद्देश्य से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन विषयक कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां निरंतर आयोजित की जा रही हैं. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रदेश के कारीगरों, किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय मानकों, निर्यात प्रक्रियाओं और वैश्विक अवसरों से जोड़ना है.

> इसी क्रम में 28 अक्टूबर को सागर में कृषि उपकरणों के निर्यात पर कार्यशाला हुई .अगर मालवा में 29 अक्टूबर को संतरा उत्पादों के प्रसंस्करण पर, 30 अक्टूबर को बैतूल में सागौन उत्पादों के वैश्विक बाजार पर, 31 अक्टूबर को इंदौर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर और 4 नवम्बर को श्योपुर में टमाटर प्रसंस्करण और निर्यात संभावनाओं पर आयोजित की जाएंगी. मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर एक भव्य प्रदर्शनी और लाइव डेमोंस्ट्रेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के विविध उत्पाद प्रदर्शित होंगे .

पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है अभ्युदय मप्र

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 29 अक्टूबर. मप्र में अब विकास कोई वादा नहीं, बल्कि अनुभव है. ऐसा अनुभव, जो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूरदृष्टि और निर्णायक नेतृत्व से संभव हुआ है. राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए भरोसा, पारदर्शिता और नीति-सुधार का ऐसा वातावरण बनाया है, जहां हर निवेश अवसर में बदल रहा है और हर विचार उद्योग में. यही परिवर्तन आज अभ्युदय मध्यप्रदेश के रूप में पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है.

वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय केवल औपचारिक घोषणा नहीं रहा, बल्कि राज्य की औद्योगिक नीति का सक्रिय अध्याय बना. मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एवं सस्टेनेबिलिटी को औद्योगिक विकास के मुख्य आधार बने हैं. राज्य सरकार द्वारा 18 नई औद्योगिक नीतियां तैयार की गईं, जो निवेश, नवाचार, रोजगार और सतत विकास को नई ऊर्जा देती हैं.

> राज्य ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस का नया दौर शुरू किया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल से निवेश प्रक्रिया को न केवल सरल और तेज़ बनाया गया, बल्कि उसे भरोसेमंद और पारदर्शी भी किया गया है. अब हर निवेशक यह अनुभव कर रहा है कि मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करना सुविधा से आगे बढ़कर एक सुरक्षित निर्णय है. इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी 2025 इसी दृष्टि का प्रतिबिंब है –

कार्यालय मंत्री महाजन ने पूजा अर्चना कर संभाला दायित्व

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 29 अक्टूबर. भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर कार्यभार ग्रहण किया. श्याम महाजन सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचे.

प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन ने कार्यालय परिसर में स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना करने के पश्चात जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी एवं एकात्म मानववाद के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर राष्ट्र निष्ठा, सेवा और संगठन के आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया. पदभार ग्रहण के अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा, डॉ. निशांत खरे, प्रदेश मंत्री राजो मालवीय, राजेन्द्र सिंह राजपूत, अर्चना सिंह, डॉ. राघवेन्द्र शर्मा एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल, पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंटकर व मुंह मीठा कराकर महाजन का स्वागत किया.

फरार दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

बैरसिया, 29 अक्टूबर. चार साल से बलात्कार के 10 हजार के इनामी आरोपी को बैरसिया पुलिस ने सागर जिला से पकड़ने में सफलता पाई है. इस सम्बंध में बैरसिया एसडीओपी पुलिस मंजू चौहान ने थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

बुधवार को थाना बैरसिया द्वारा 4 साल से फरार बलात्कार के 10 हजार रुपये के ईनामी आरोपी राकेश ठाकुर पिता भगवान सिंह ठाकुर उम्र 27 साल निवासी ग्राम डुंगरिया को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक मामला 16 नवंबर 2022 को पीड़िता द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि राकेश ठाकुर ने उसके साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया है. पुलिस ने

आरोपी के खिलाफ बलात्कार की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था. विवेचना के दौरान आरोपी का कोई पता नहीं चला. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी भोपाल (देहात) द्वारा 10 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया था. मामला काफी पुराना होने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देहात के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया.

> पुलिस टीम द्वारा आरोपी राकेश को इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, आदि शहरों में तलाश किया गया. तकनीकी आधार पर पता चला कि आरोपी राकेश सागर में रह रहा है .पुलिस टीम ने सागर में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है . आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार सेन, उपनिरीक्षक हरिशंकर वर्मा, प्रियांशी कौरव, प्रधान आरक्षक हेमराज सिंह, महिला आरक्षक शीला दांगी, भोपाल देहात साइबर सेल प्रधान आरक्षक मुश्ताक अहमद एवं एनआरएस राहुल सेन की विशेष भूमिका रही .

बस खड़े ट्रक से टकराई 12 यात्री घायल, कई गंभीर

- **भोपाल से सिलवानी जा रही थी बस**
- **माना ढाबे के पास हुआ हादसा**

रायसेन, 29 अक्टूबर. भोपाल से सिलवानी जा रही तेज रफ्तार यात्री बस मंगलवार शाम ग्राम कुसियारी के पास माना ढाबे के समीप खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी. हादसे में 12 यात्री घायल हो गए. इनमें कई की हालत गंभीर है. घटना के तुरंत बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी.

सभी घायलों को जिला अस्पताल रायसेन भेजा गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस की रफ्तार बहुत तेज थी. इसी लापरवाही के कारण हादसा हुआ. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद बस और ट्रक के चालक मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे. स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बस हादसे में घायल बलवंत लोधी ने बताया कि ड्राइवर बहुत तेजी से बस चला रहा था. उसने सामने खड़े एक ट्रक में ले जाकर बस को घुसा दिया, जिससे मेरा पैर टूट गया है. बस में बैठे लोग घायल हुए हैं.

पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रालियों में लगाईं रेडियम पट्टियां

सलामतपुर. जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है. पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे के निर्देशन में बुधवार दोपहर सलामतपुर थाना प्रभारी दिनेश रघुवंशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कृषि उपज मंडी सलामतपुर में पहुंचकर किसानों की ट्रालियों में रेडियम पट्टियाँ लगाईं. थाना प्रभारी ने बताया कि रात में सड़क पर चलती ट्रॉलियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देतीं, जिसके कारण अन्य वाहन उनसे टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं. ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा ट्रालियों के पीछे रेडियम पट्टी लगाई जा रही है, ताकि वाहन चालकों को दूर से ही संकेत मिल सके कि आगे ट्रैक्टर-ट्रॉली चल रही है. पुलिस टीम ने मौके पर किसानों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया. इस पहल की स्थानीय किसानों ने सराहना करते हुए कहा कि इससे रात्रिकालीन दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी.

एसआईआर की घोषणा से बौखला गई कांग्रेस

भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने सिंघार के बयान पर दी प्रतिक्रिया

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 29 अक्टूबर. भाजपा के प्रदेश महामंत्री व सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने एसआईआर को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. डॉ. सोलंकी ने इन आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल जिस तरह से इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, उसने चोर की दाढ़ी में तिनका वाले मुहावरे को चरितार्थ कर दिया है.

वास्तविकता यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया लोकतंत्र की पवित्रता को धता बताने वाले फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिए है, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते इसका विरोध कर रहे हैं. अपने स्वार्थ में अंधे होकर ये दल उन राज्यों में भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जहां अवैध घुसपैठियों के माध्यम से देश की डेमोग्राफी बदलने का दुष्चक्र चल रहा है.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री व सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया वैधानिक और पारदर्शी है. बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप हुई है और वहां इस प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं पाई गई. बिहार में भी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने इस प्रक्रिया को टालने के पुरजोर प्रयास किए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके. अब देश के 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बुरी तरह बौखला गए हैं. उन्हें लगने लगा है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया होती है, तो वे उन फर्जी और काल्पनिक मतदाताओं से हाथ धो बैठेंगे, जिनका नाम काफी प्रयासों के बाद मतदाता सूची में जुड़वाया गया था. ये मतदाता कांग्रेस के लिए वोटबैंक का काम करते रहे हैं और इनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका से कांग्रेस पार्टी अपना आपा खो बैठी है.

> सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी भाईयों, अल्पसंख्यकों और ओबीसी बंधुओं की चर्चा सिर्फ राजनीति के लिए कर रही है. वास्तव में उसने कभी इन वर्गों की चिंता नहीं की. उसकी रुचि तो सिर्फ इन वर्गों को वोटबैंक के तौर पर इस्तेमाल करने में रही है. लेकिन देश के आदिवासी, अल्पसंख्यक और ओबीसी के लोग यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास' के मंत्र पर काम कर रही है.

कलेक्टर चेंबर के सामने रामधुन गाकर जताया आक्रोश

किसानों का अनोखा प्रदर्शन, गेट पर चढ़े विधायक

हरदा, 29 अक्टूबर. मध्य प्रदेश के किसानों का गुस्सा प्रशासन पर टूट पड़ा. जिले में फसलों की बर्बादी, भावांतर योजना में गड़बड़ी, खाद की किल्लत और बीमा भुगतान न मिलने से नाराज किसानों ने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में विशाल रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया. कलेक्टर के बाहर न आने से आक्रोशित किसानों ने बैरिकेट और मुख्य गेट तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर लिया. कलेक्टर चेंबर के सामने बैठकर किसानों ने जय किसान के नारों के साथ रामधुन गाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान टिमरनी विधायक अभिजीत शाह गेट पर चढ़कर सीधे कलेक्टर के केबिन तक पहुंचे. उनके साथ हरदा विधायक डॉ. आर.के. दोगने, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और किसान थे.

बिना दान दक्षिणा के नहीं दिया जाता मातृत्व अवकाश

- **स्कूल शिक्षा विभाग की शिक्षिकाओं का मामला**

बैरसिया, 29 अक्टूबर. स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ स्थाई कार्यरत महिला शिक्षको को लगभग 6 महीने का मातृत्व अवकाश एव चाइल्ड केयर लिव दो साल का देने का विभाग का प्रावधान है. ये अवकाश वेतन सहित होता है.

सूत्रों के मुताबिक महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश लेने संकुल प्राचार्यों को दान दक्षिणा देना पड़ रही है. सूत्र बताते हैं बैरसिया विकास खंड के रुनाहा संकुल में शिक्षक महिलाओं को मातृत्व अवकाश एव चाइल्ड केयर लिव की अनुशंसा करने के बदले मोटी दक्षिणा देना पड़ रही है. यह किसी अन्याय से कम नहीं है. इस सम्बंध में लोकशिक्षण संचालनालय में पदस्थ सहायक संचालक स्तर के एक अधिकारी से पूछने पर उन्होंने बताया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित महिला शिक्षक को 6 माह का मातृत्व अवकाश एवं 2 साल का चाइल्ड केयर लिव वेतन सहित देने का प्रावधान है. इसी प्रकार महिला शिक्षक एक शैक्षणिक सत्र में 20 दिन का आकस्मिक अवकाश भी ले सकतीं हैं. साथ ही मेडिकल अवकाश भी उन्हें बगैर वेतन काटे देने का प्रावधान है. बताया जाता है कि मातृत्व अवकाश और चाइल्ड लीव के लिए महिला शिक्षकों को परेशान होना पड़ता है. इस परेशानी से बचने के लिए उन्हें दान दक्षिणा देकर अपना आवेदन मंजूर कराना पड़ता है.

> इसके लिए कहीं कोई पैसा नहीं लगता है. डीपीआई अधिकारी का कहना है कि यदि संकुल स्कूल अथवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोई इन अवकाशों की स्वीकृति के बदले दक्षिणा मांगता है तो उसके विरुद्ध लिखित शिकायत अवश्य करना चाहिए .

युवती से छेड़खानी, हिंदू संगठन ने किया हंगामा

झाबुआ. मध्य प्रदेश के झाबुआ में हिंदू युवती से छेड़खानी का मामला सामने आया है. विशेष वर्ग के रेहान नाम के युवक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है. घटना के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हैं.

दरअसल, पूरा मामला जिले के मेघनगर का है. बेटी से छेड़छाड़ की सूचना मिलते ही परिजन फ़ौरन उससे मिलने पहुंचे. हिन्दू लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया. हिंदू संगठन ने आरोपी रेहान को गिरफ्तार करने की मांग की है. नगर में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया.

एक सप्ताह के भीतर लंबित भुगतान सुनिश्चित करें

समीक्षा बैठक में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 29 अक्टूबर. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में पंचायत और ग्रामीण विकास की विभागीय समीक्षा बैठक ली. उन्होंने ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, जनपद एवं जिला पंचायत भवनों के निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की.

कई जिलों में कार्य तीव्र गति से प्रगति पर हैं. जिन स्थानों पर पोर्टल पर अपडेट शेष हैं, वहां शीघ्र फील्ड निरीक्षण एवं पोर्टल अद्यतन के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी भवनों की प्रगति समय-

सीमा में पोर्टल पर अपलोड करें. मनरेगा अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि तकनीकी कारणों से भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई. मंत्री पटेल ने निर्देश दिए कि संबंधित विभागों के समन्वय से आरबीआई स्तर की तकनीकी अड़चनें दूर कर एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित भुगतान सुनिश्चित किए जाएं. मंत्री पटेल ने ग्राम रोजगार सहायकों से संबंधित लंबित मामलों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए.

> उन्होंने सभी ब्लॉक स्तर पर लंबित वेतन एवं सेवा संबंधी मामलों की सूची तैयार कर 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. उप-यंत्रियों से संबंधित वेतन, नियमितीकरण एवं सेवा शर्तों के बिंदुओं पर चर्चा की गई. पटेल ने कहा कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और गति लाना प्राथमिकता है.

समीक्षा बैठक | सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार पीयूष गोयल ने कहा

खदान संचालन की वैधानिक कठिनाई होगी दूर

जिला स्तर पर नीलाम ब्लॉक में शामिल भूमि के परीक्षण के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 29 अक्टूबर. सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार पीयूष गोयल ने कहा कि मध्यप्रदेश में बंद पड़ी खदानों को प्रारंभ करने में सराहनीय कार्य किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में नीलाम किये गये खनिज ब्लॉकों में भी मध्यप्रदेश राज्य ने उत्कृष्ट कार्य किया है.

सचिव गोयल ने होटल ताज लेंक फ्रंट भोपाल में मुख्य खनिज ब्लॉक के संचालन की समीक्षा बैठक में यह बात कही. उन्होंने खदान संचालन के लिये वैधानिक कठिनाई दूर करने के लिये नीलाम किये जाने के पहले जिला स्तर पर नीलाम ब्लॉक में शामिल भूमि के परीक्षण के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में वन, राजस्व एवं खनिज साधन विभाग की कमेटी गठित किये जाने के निर्देश दिये.

सचिव गोयल ने ब्लॉक के सफल बोलीदारों के साथ खनन संचालन प्रारंभ करने के लिये चर्चा की. चर्चा में बोलीदारों को वैधानिक अनुमति प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिये सुझाव दिये. गोयल ने भारत सरकार द्वारा किये जा रहे नीतिगत प्रयासों की जानकारी भी दी.

प्रमुख सचिव खनिज उमाकांत उमराव ने बैठक में बताया कि प्रदेश में 118 विभिन्न मुख्य खनिज ब्लॉकों का खान एवं खनिज अधिनियम एवं प्रावधान के अंतर्गत सफल नीलामी की गयी है.

> उन्होंने कहा कि खनन संचालन के लिये वैधानिक अनुमति प्राप्त करने में लगने वाले समय को न्यूनतम किये जाने के लिये सरकार निरंतर प्रयासरत है, लेकिन इसमें सफल बोलीदार को भी अपने स्तर पर प्रयास करना होंगे . गोयल ने कहा कि वन मंत्रालय से भी वन अनुमति प्राप्त करने के लिये शीघ्र बैठक आयोजित की जायेगी . बैठक में वन अनुमति प्राप्त करने में वैधानिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये चर्चा होगी . इसका लाभ सभी सफल बोलीदारों को प्राप्त होगा .

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता, ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियरल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों/सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री कल्याण सिंह श्री लक्ष्मण सिंह श्रीमती आराम बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10382454)	पटवारी हल्का संख्या 47, खसरा संख्या 165, सावतखेड़ी, राघौगढ़, गुना, मध्य प्रदेश 473226 में स्थित संपत्ति का वह पुरा टुकड़ा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल- 400	रु. 354393/- (रु. तीन लाख चौवन हजार तीन सौ तिरानवे मात्र)	08-04-2025	25/10/2025
श्री तोरण सिंह श्रीमती सोनम तोरण किराना स्टोर्स (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10463604)	पटवारी हल्का संख्या 18, खसरा संख्या 483, ग्राम हिरणछिपा, मातखौन, सागर, मध्य प्रदेश, 470441 पर स्थित संपत्ति का वह पुरा टुकड़ा. प्रदेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, निर्मित_उप_क्षेत्रफल, कातीन_क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्र- 800.00, 800.00, 640.00	रु. 217159/- (रु. दो लाख सत्रह हजार एक सौ उनसठ मात्र)	18-07-2025	24/10/2025
श्री विनोद वास्त्री श्री मुरारीलाल रजक श्रीमती भगवती बाई विनोद वास्त्री (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10348780)	संपत्ति का वह पुरा टुकड़ा पटवारी हल्का संख्या 13, खसरा संख्या 181, क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट, ग्राम बापया, गुना, मध्य प्रदेश, भारत, 473287 में स्थित है. प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कातीन क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफल- 400.00, 400.00, 320.00	रु. 283351/- (रु. दो लाख तिरासी हजार तीन सौ इक्यावन मात्र)	09-06-2025	25/10/2025
श्री जगदीश ओझा जगदीश किराना स्टोर श्रीमती रीना बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10348833)	पटवारी हल्का संख्या 27, वार्ड संख्या 03, सर्वे संख्या 740/2 मिनट, रविशंकर वार्ड, श्रीविहार कॉलोनी, अशोक नगर, मध्य प्रदेश, 473331, भारत में स्थित संपत्ति का वह पुरा टुकड़ा. क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र, कातीन_क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 600.00, 600.00,	रु. 353334/- (रु. तीन लाख तिरेपन हजार तीन सौ चौंतीस मात्र)	08-04-2025	24/10/2025
श्री उत्कार सिंह राजपूत श्री जितेंद्र राजपूत श्रीमती वेनाबाई राजपूत (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10378797)	सर्वेक्षण संख्या 63, पीएच नं. 87, ग्राम करोंदिया चक, तहसील और जिला गुना, मध्य प्रदेश, भारत, 473249 क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कातीन क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल- 675.00, 675.00, 540.00	रु. 295793/- (रु. दो लाख पिंच्यानवे हजार सात सौ तिरानवे मात्र)	10-06-2025	24/10/2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** 183, प्रथम तल, सोनी भवन, एम.पी. नगर, जोन-2 भोपाल/या **कार्पोरेट ऑफिस-** प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.
स्थान- भोपाल, दिनांक- 30-10-2025 **प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

उच्चाधिकार प्राप्त विक्रय समिति
(माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित)
कार्यालय का पता- चतुर्थ तल, प्लॉट संख्या 226, ए-2, सेक्टर-17, द्वारका, नई दिल्ली-110075
टेलीफोन- 011-40073576

सार्वजनिक सूचना

साईं प्रसाद समूह की कंपनियों की अचल संपत्तियों की ई-नीलामी हेतु विक्रय सूचना

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालासाहेब केशवराव भापकर एवं अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के मामले में रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 546/2023 में पारित दिनांक 15 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त विक्रय समिति का गठन किया गया है.

सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 19.02.2025 के आदेश (पैरा 5 (iii)) के अनुसार, मध्य प्रदेश में स्थित 57 संपत्तियों (भोपाल में 4 संपत्तियां, इंदौर में 2, सीहोर में 1, बालाघाट में 1, हरदा में 1, ग्वालियर में 1, विदिशा में 1, बीना में 1 और आगर मालवा में 45 संपत्तियां) की ई-नीलामी के माध्यम से साईं प्रसाद समूह की कंपनियों की संपत्तियों के परिसमापन हेतु समिति का गठन किया गया है. इसके फलस्वरूप प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया है, जिसे संपत्ति के दस्तावेजों के साथ यहां देखा जा सकता है-

www.bankeauctionwizard.com
www.hpsc-saiprasad.com

2. ई-नीलामी में भागीदारी के विवरण आरएफपी में उपलब्ध हैं. आरएफपी की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं :-

● आरएफपी प्रकाशन की तिथि	30 अक्टूबर, 2025
● आगर मालवा आरएफपी के लिए बोली की अंतिम तिथि और समय	28 नवंबर, 2025
● ई-नीलामी आगर मालवा आरएफपी की आरंभ तिथि/समय	15 दिसंबर, 2025 प्रात: 11.00 बजे
● शेष संपत्तियों के लिए बोली की अंतिम तिथि और समय	20 नवंबर, 2025
● शेष संपत्तियों के लिए ई-नीलामी की आरंभ तिथि और समय	8 दिसंबर, 2025 प्रात: 11.00 बजे

लागू शर्तें :-

3. सभी संपत्तियाँ 'जैसी हैं, जहाँ हैं, जो भी हैं' के आधार पर बेची जाएंगी और क्रेता उनसे संबंधित सभी दावों, देनदारियों और/या भारों के लिए उत्तरदायी होगा.
4. इस सूचना और इस निविदा दस्तावेज़ के अंतर्गत आरएफपी में उल्लिखित संपत्तियों का विवरण विक्रेता को उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार है और न तो विक्रेता और न ही एजेंसी, किसी भी कारण से संपत्तियों के आकार में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी होगी.
5. समिति किसी भी प्रकार से किसी भी विसंगति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी. संपत्तियों/उनके स्वामित्व विलेखों के संबंध में, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संपत्तियों के स्वामित्व के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच-पड़ताल करने के बाद ही अपनी बोलियां प्रस्तुत करें.
6. इच्छुक बोलीदाता, जिन्हें सहायता की आवश्यकता हो, ईमेल आईडी- hpsc.saiprasad@stockholdingdms.com पर या सुश्री स्नेहल पाटिल, उप प्रबंधक, स्टॉक होल्डिंग डीएमएस 022-61778742 पर संपर्क कर सकते हैं.

सीबीसी 15204/11/0179/2526